न्यायालय, राजस्व परिषद (खण्डपीठ) उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पुनर्विलोकन प्रा0प0सं0– /2015–16 अन्तर्गत धारा–220 भू0रा0अधि0

प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 कुंवर सिंह, निवासी–ग्राम निमगा खत लखौं, तहसील त्यूणी, जिला देहरादून।

बनाम

1– प्रताप सिंह, 2. चन्दन सिंह, 3. महिपाल सिंह पुत्रगण स्व0 गुलाब सिंह, निवासी–ग्राम निमगा खत लखौं, तहसील त्यूणी, जिला देहरादून।

उपस्थित : एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष, एवं
श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकन प्रार्थी : श्री टी0आर0 जोशी।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री रमाकान्त रोहिल्ला।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या–43/2007–08 प्रीतम सिंह आदि बनाम प्रताप सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 29–10–2015 के पुनर्विलोकन हेतु इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 में तात्विक एवं विधिक अनियमितता है क्योंकि विचारण न्यायालय में उत्तरदातागण द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी उनके सम्बन्ध में बिना विवेचन एवं विश्लेषण के आदेश पारित किया गया है तथा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे उनकी कोई विचेचना नही की गई है, कि जौनसार भाबर में भूमि प्रबन्धन समिति विद्यमान नहीं है तद्नुसार भूमि प्रबन्धन समिति को नोटिस दिया जाना सम्भव नही है, कि विचारण न्यायालय में पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया है एवं कि इस तथ्य का संज्ञान नही लिया गया है कि पुनर्विलोकन प्रार्थी स्व0 कुंवर सिंह का पुत्र है न कि गुलाब सिंह का।

वाद का संक्षिप्त विवरण जिस आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस आदेश से सम्बन्धित निर्णय में है।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा उपलब्ध पत्रावलियों तथा इस न्यायालय के एकलपीठ द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 का अवलोकन किया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो तर्क उनके द्वारा निगरानी में प्रस्तुत किये गये हैं।

इस न्यायालय के एकलपीठ द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही में जो

उद्घोषणा जारी की गई है वह भू0रा0अधि0 की धारा–197 एवं राजस्व न्यायालय नियमसंग्रह के प्रस्तर ए–373 से 377 में दिये गये प्राविधानों के अनुकूल नहीं जारी की गई है। यद्यपि एकलपीठ द्वारा उद्घोषणा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उत्तरदातागण द्वारा विद्वान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया है परन्तु उद्घोषणा के विधिवत जारी न होने एवं उद्घोषणा सम्बन्धी इस दोष के नामान्तरण कार्यवाही को मौलिक रूप से (fundamentally) दूषित करने के दृष्टिगत सम्पादित नामान्तरण की कार्यवाही शून्य होने के फलस्वरूप नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा पुनः विधिवत निर्गत करने एवं नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के स्तर से पुनः सम्पादित करने हेतु निर्देश दिये जाने के लिए यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकारणीय है।

आदेश

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 27–01–2016 आंशिक रूप से स्वीकार कर निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 विद्वान अपर कलेक्टर के आदेश सहित को इस आशय से संशोधित किया जाता है कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के चरण (stage) से अपखण्डित (quash) कर नामान्तरण प्रकरण विद्वान तहसीलदार, त्यूणी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे भू0रा0अधि0 एवं राजस्व न्यायालय नियमसंग्रह के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिवत उद्घोषणा निर्गत एवं तामील करें एवं तत्पश्चात नामान्तरण प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करें।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)
दिनांकः 11.06.2018

एस0 रामास्वामी,
अध्यक्ष।
दिनांकः 11.06.2018